

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक 2193 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, 7/12 /2019

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गैरसैण को उपरोक्तानुसार इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रकरण में पायी गयी कमी का निराकरण आप द्वारा किया गया है किन्तु बिन्दु सं० 4 में उल्लिखित है कि उक्त आवेदित वन भूमि केदारनाथ वन प्रभाग व बद्रीनाथ वन प्रभाग के अन्तर्गत है अभिलेखों में प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त आपत्ति का निराकरण कर सम्बन्धित अभिलेख मूल में चार-चार प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे। ताकि उक्त प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

o/c


प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE
CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या: 8बी./यू.सी.पी./06/147/2016/एफ.सी./1667

दिनांक: 22/10/2019

सेवा में,

- ✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद-चमोली के अन्तर्गत दिवालीखाल किमोली से नारायणबगड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.522 हे० वन भूमि के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/11039/2015)
सन्दर्भ:-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 814/FP/UK/ ROAD/11039/2015 दिनांक 21-09-2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र (EDS) दिनांक 18/04/2019 द्वारा प्रस्ताव पर वांछित सूचनायें चाही गई थी जिसमें निम्नलिखित कमियों की पूर्ति अभी भी राज्य सरकार से अपेक्षित है:

- 1- In reply to para 01, no comments/ justification submitted by the State Govt. as the case has already been closed. State Government is required to submit the proposal for reopening the case as per guidelines.
- 2- बिन्दू संख्या 02 के जवाब में यह पाया गया है कि प्रस्तावित मार्ग मात्र दो मुख्य मार्गों को आपस में जोड़ने हेतु प्रस्तावित किया गया था तथा इस प्रस्ताव में 2025 वृक्षों का पातन भी प्रस्तावित है जिसमें 'ओक' प्रजाति के 680 वृक्ष सम्मिलित हैं। अतः घने वन क्षेत्र को divert कर इस मार्ग के निर्माण का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। साथ ही इस प्रस्ताव को पूर्व में बंद किया जा चुका है। अतः राज्य शासन यदि चाहे तो प्रस्ताव में सम्मिलित वन क्षेत्र में उपलब्ध वन मार्ग को पक्का करने का पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती हैं।
- 3- In reply to point No. 03, VLC proceedings of Diwalikhal still not submitted/ upload.
- 4- In reply to point No. 03, State govt. submitted that the report/document in respect of Kedarnath Wildlife division and Badrinath wildlife Division are enclosed but not found with the reply. State Govt. may submit the required documents.

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)